

न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

पत्रांक: 2126/वि0उप0व्य0नि0फो0आ0/2020

दिनांक: 16/12/2020

## नोटिस

श्री ऋषिकेश यादव पुत्र नन्हकू यादव, ग्राम-नैपूरा, पोस्ट-नासिरुद्दीनपुर, तहबरपुर,  
जनपद-आजमगढ़।.....परिवादी

### बनाम

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (तृतीय), लालगंज, जनपद-आजमगढ़।.....  
.....विपक्षी

परिवादी (ऋषिकेश यादव पुत्र नन्हकू यादव) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा इस फोरम में दिनांक 24.12.2020 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी (अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(तृतीय), लालगंज, आजमगढ़) को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिकृत द्वारा इस फोरम में दिनांक 24.12.2020 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 16.12.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी।

दिनांक: 16.12.2020

o/c  
आज्ञा से  
Mamh  
16/12/2020  
न्यायालय  
विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,  
आजमगढ़ (उ0प्र0)।

Received copy

श्रीमशहाय यादव  
व्यथी ऋषिकेश यादव